न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 199 / 2019

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेन्स कोरपोरेशन लि0 (एच.डी.एफ.सी लि0)
पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग,
169, बैकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020,
शाखा कार्यालय–एच डी एफ सी लि0,
सी–25 भगवन्त दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कुल के सामने,
सी–स्कीम जयपुर।

.............**प्रार्थी**

बनाम

(1) श्री राजेश सोनी पुत्र श्री शम्भु दयाल सोनी,
पताः– प्लॉट नं.–05, गांधी नगर मोजा, गणेशपुरा रोड, ब्यावर,
जिला अजमेर–305901
दुसरा पताः– मकान नं0–98, गली नं0 4, बोहरा कॉलोनी, ब्यावर,
जिला अजमेर 305901
तीसरा पताः– मकान नं0–1 / 17, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर,
जिला अजमेर 305901

(2) श्री शुभम सोनी पुत्र श्री राजेश सोनी,
पताः– प्लॉट नं.–05, गांधी नगर मोजा, गणेशपुरा रोड, ब्यावर,
जिला अजमेर–305901
दुसरा पताः– मकान नं0–98, गली नं0 4, बोहरा कॉलोनी, ब्यावर,
जिला अजमेर 305901
तीसरा पताः– मकान नं0–1 / 17, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर,
जिला अजमेर 305901 ....**अप्रार्थीगण (ऋणी)**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी

<u>आदेश</u> **दिनांक 18.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री राजेश सोनी पुत्र श्री शम्भु दयाल सोनी एवं श्री शुभम सोनी पुत्र श्री राजेश सोनी, निवासीः– प्लॉट नं.–05, गांधी नगर मोजा, गणेशपुरा रोड, ब्यावर, जिला अजमेर–305901(राज.) को दिनांक 28.07.2016 को रूपये 13,50,000 / –(अक्षरे तेरह लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर गांधी नगर, गणेशपुरा, ब्यावर, जिला अजमेर(राज.) स्थित बंधक सम्पति प्लॉट नं0 05, उतरी भाग प्राईवेट नं0 5ए, पार्ट ऑफ खसरा नं. 253, क्षैत्रफल 100.00 वर्ग गज, जो श्री राजेश सोनी पुत्र श्री शम्भु दयाल सोनी व श्री शुभम सोनी पुत्र श्री राजेश सोनी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः–पूर्व मेंः– प्लॉट नं0 2, पश्चिम

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

में:– 30 फीट रोड, उत्तर में:–प्लॉट नं. 4, दक्षिण में–प्लॉट नं0 5 का शेष हिस्सा जिसे प्लाट नं0 5 बी के नाम से जाना जाता है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 28.02.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 27.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 15,22,141/–(अक्षरे पन्द्रह लाख बाईस हजार एक सौ इक्तालीस रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में गांधी नगर, गणेशपुरा, ब्यावर, जिला अजमेर(राज.) स्थित बंधक सम्पति प्लॉट नं0 05, उतरी भाग प्राईवेट नं0 5ए, पार्ट ऑफ खसरा नं. 253, क्षैत्रफल 100.00 वर्ग गज, जो श्री राजेश सोनी पुत्र श्री शम्भु दयाल सोनी व श्री शुभम सोनी पुत्र श्री राजेश सोनी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ है:–पूर्व में:–प्लॉट नं0 2, पश्चिम में:– 30 फीट रोड, उत्तर में:–प्लॉट नं. 4, दक्षिण में–प्लॉट नं0 5 का शेष हिस्सा जिसे प्लाट नं0 5 बी के नाम से जाना जाता है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner